प्रेस विज्ञप्ति

जनपद सोनभद्र

दिनांक 16.01.2025

थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा डकैती कि योजना बनाने वाले 05 नफर अन्तर्जनपदीय अपराधियो को गिरफ्तार कर 02 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर, 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद स्कार्पियो वाहन को किया बरामद-

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, श्री अशोक कुमार मीणा द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सोनभद्र के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण/नेतृत्व में दिनांक 16.01.2025 को थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा लूट व चोरी की घटना पर अंकुश लागने हेतु वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिरी सूचना की सहायता से तेन्दू पुल के पास डकैती की योजना बनाने वाले 05 अभियुक्तों को समय करीब 3.30 बजे तेन्दु तिराहा प्राथमिक विद्यालय थाना राबर्ट्सगंज से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर, 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद स्कार्पियो वाहन संख्या UP16 AZ 0270 को बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे पूर्व में भी ट्रक ड्राइवरों से लूट की घटना कारित करते थे । जिस पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना राबर्ट्सगंज पर मु0अ0सं0-61/2025 धारा 310(6) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. जियुत निषाद पुत्र स्व० गौरी शंकर निवासी मुस्तफाबाद रेता पर थाना चौबेपुर वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष।
2. हर्ष यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र बल्लू यादव निवासी जाल्हुपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष।
3. सुनील यादव पुत्र भरत यादव निवासी ग्राम छितौना जनपद चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 28 वर्ष।
4. आयूष यादव उर्फ रवि यादव पुत्र कैलाश यादव निवासी गौराकला थाना चौबेपुर जिला वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष।
5. सौरभ यादव पुत्र स्व० तेज बहादुर यादव निवासी पन्ना पुर कुणाव सोनबरसा थाना चौबेपुर जिला वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास-

1. हर्ष उर्फ गोलू यादव उपरोक्त के विरूद्ध थाना रामनगर जिला वाराणसी में मु0अ0सं0- 97/2024 धारा 34, 395, 412 भादवि तथा थाना बलुआ जिला चंदौली में मु0अ0सं0- 133/2024 धारा 132, 221, 310(2), 317, 61(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत है।
2. आयुष यादव उर्फ रवि यादव उपरोक्त के विरूद्ध थाना बलुआ जिला चन्दौली में मु0अ0सं0- 133/2024 धारा 132, 221, 310(2), 317, 61(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत है।
3. सौरभ यादव उपरोक्त के विरूद्ध थाना रामनगर जिला वाराणसी मे मु0अ0सं0 97/2024 धारा 34,395,412 भादवि का अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्तों के पास से 02 अदद देशी तमन्चा 315 बोर, 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद स्कार्पियो वाहन संख्या UP16 AZ 0270 व जमातलाशी का 05 अदद मोबाईल।

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र कुमार राय थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
2. उ0नि0 बृजेश कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी सुकृत थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
3. उ0नि0 सुनील कुमार चौकी प्रभारी चुर्क थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
4. हे0का0 शिवकुमार यादव चौकी सुकृत थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
5. हे0का0 अमरजीत यादव चौकी चुर्क थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
6. का0 राजहंस चौकी सुकृत थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।